

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

किशन पुत्र हीरा माली निवासी काछोला वगैरह
बनाम

कैलाश पिता मांगीलाल माली निवासी काछोला वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 167 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुवे
09-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम काछोला प.ह. काछोला आराजी सं. 1965, 1966, 1967 कुल किता 03 रकबा 1.9910 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है </p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111 / 128 रा.ले.रे. एक्ट स्वीकार जाता है, में ग्राम काछोला प.ह. काछोला आराजी सं. 1965, 1966, 1967 कुल किता 03 रकबा 1.9910 हेक्टेयर भूमि स्थित भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार काछोला को लिखा जावें तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 09/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

संक्रमांक/रीडर/2024/167/2024

दिनांक- 09/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार काछोला

विषय- प.सं. 167 / 2024 अनवान किशन पुत्र हीरा माली निवासी काछोला, चांदु पुत्री हीरा माली निवासी काछोला, नानी पत्नि हीरा माली निवासी काछोला नारायण पिता हीरा माली निवासी काछोला, प्रेम पुत्रि हीरा माली निवासी काछोला, महावीर पुत्री हीरा माली निवासी काछोला, राधा पत्नी शंभाराम माली निवासी काछोला, लाली पुत्री हीरा माली निवासी काछोला वनाम कैलाश पिता मांगीलाल माली निवासी काछोला, दुर्गा पिता छगना माली निवासी काछोला, देवी पिता काजोड माली निवासी काछोला, पुष्पा पत्नी बावाराम मोची, घासु सिंह पिता रूपसिंह राजपुत निवासी काछोला की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयवर्ती अनवान के प्रकरण में ग्राम काछोला प.ह. काछोला आराजी सं. 1965, 1966, 1967 कुल कित्ता 03 रकबा 1.9910 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा